न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

प्रा.पत्र संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15 / 249 / 2022	2022 / 412	27.09.2022	14.11.2022

–उनवान–

1. सरकार जरिये उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (पौ0सं0), कार्यालय उपनिदेशक, कृषि (विस्तार) जिला परिषद, अलवर जिला अलवर राज0।

–प्रार्थी

बनाम

1. विश्वेन्द्र सिंह पुत्र लीलाराम जाट निवासी रोनपुर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0।
2. अनिल कुमार पुत्र रघुवीर चौधरी निवासी कैरवा जाट तहसील व जिला अलवर राज0।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थितः–
01.श्री बबलेश कुमार, कृषि अधिकारी –विभागीय प्रतिनिधि
02.श्री श्योराम सिंह नरूका –वकील अप्रार्थीगण

–::निर्णय::–

प्रार्थी ने यह 6ए प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 22.09.2022 को श्री ओमप्रकाश चौधरी, निवासी भजीट अलवर द्वारा दुरभाष पर प्रातः लगभग 10.15 बजे सूचना दी गयी कि चौधरी खाद बीज भण्डार ग्राम भजीट के द्वारा डीएपी ब्रांण्ड किसान का अनाधिकृत जगह भण्डारण किया जा रहा है तथा इसकी कालाबाजारी की जावेगी। मौके पर पहूंचकर देखा तो मै0 चौधरी खाद बीज भण्डार ग्राम भजीट द्वारा नंगलाचारण की सीमा के पास श्री धर्मवीर चौधरी की दुकान में अवैध रूप से डीएपी का भण्डारण किया हुआ था। मै0 चौधरी खाद बीज भण्डार के प्रतिनिधि अनिल कुमार द्वारा उस दुकान का ताला खुलवाया गया। जिसमें एनएफएल कम्पनी ब्राण्ड डीएपी किसान के 200 बैग भण्डारण किये हुये थे। प्रतिनिधि द्वारा बताया कि उक्त उर्वरक का बैचान हमारे द्वारा किसानों को किया जाना था। उक्त उर्वरक नकली डीएपी होने का संदेह है। इसलिए जांच हेतु दिनांक 22.09.2022 को ही नमूना लिया गया एवं कार्यालय द्वारा उप निदेशक कृषि (गुण नियंत्रण) राजकीय उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला, जोधपुर को भिजवाया गया। साथ ही एक रैफरी नमूना संयुक्त निदेशक कृषि (तिलहन) भरतपुर खण्ड, भरतपुर का भिजवाया गया था। उक्त डीएपी का अवैध भण्डारण कालाबाजारी हेतु किया जा रहा था। इसलिए उक्त उर्वरक का मौका पर्चा तैयार कर जप्ती की कार्यवाही कर उर्वरक के 200 बैगों को गोजूकी ग्राम सहकारी समिति के व्यवस्थापक श्री साफीजान पुत्र इब्राहिम को अभिरक्षा हेतु सुपुर्दगी पर दिये गये। उक्त उर्वरक की कालाबाजारी के संदेह से विश्वेन्द्र सिंह पुत्र लीलाराम जाट निवासी रोनपुर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर व अनिल कुमार पुत्र रघुवीर चौधरी निवासी कैरवा जाट तहसील अलवर के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 एव उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत थाना एमआईए अलवर में प्राथमिकी दर्ज करवायी गयी। अतः उक्त प्रकरण में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत जप्त अवैध उर्वरक को परीक्षण में मानक पाये जाने पर राजसात करने एवं निस्तारण की कार्यवाही करने का आदेश फरमावें।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण ने पृथक–पृथक लिखित जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी को अधिसूचना की प्रति प्राप्त नहीं हुई है। ओमप्रकाश चौधरी द्वारा गलत सूचना देने पर प्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही की गयी है। प्रार्थी द्वारा अनाधिकृत भण्डारण किया जा रहा था ना ही कालाबाजारी की जा रही थी। 200 बैग डीएपी का भण्डारण ग्राम भजीट में ही किया गया था। जो धर्मवीर चौधरी की दुकान थी। डीएपी एनएफएल कम्पनी ब्राण्ड का था। तेज बरसात होने के कारण प्रार्थी की दुकान और गोदाम में पानी टपक रहा था तथा सीलन आ रही थी। इसलिए प्रार्थी द्वारा दूसरी जगह डीएपी खाद को उतरवाया गया। धर्मवीर चौधरी की दुकान नंगलाचारण की सीमा में ना होकर

जिला कलक्टर, अलवर

भजीट गांव की सीमा में स्थित है। प्रार्थी द्वारा पासशुदा नक्शे की दुकान पर ही खाद वीज विक्रय किया जाता है। उक्त डीएपी ऑथराईज डीलर उन्नत बीज भण्डार से क्रय किया गया था। जिसकी बिल बिल्टी जवाब के साथ पेश है। नमूना लेते समय प्रार्थी उपस्थित नहीं था ना ही प्रार्थी को बुलाया गया। ना ही हस्ताक्षर कराये गये। प्रार्थी का यह अधिकार है कि कोई भी नमूना लिया जाता है तो उस नमूने का एक पैकेट प्रार्थी को सील मोहर लगाकर निःशुल्क दिया जाता है जो नहीं दिया गया। लाईसेन्स प्रार्थी रिटेस्टिंग का अधिकार सुरक्षित रखता है वो अधिकार प्रार्थी को नहीं दिया गया है। प्रार्थी के 200 बैग डीएपी किसके सुपुर्द किये है यह जानकारी भी प्रार्थी को नहीं दी गयी। शिकायतकर्ता प्रार्थी से खेती के लिए पिछले दो साल से खाद उधार लेता आ रहा है। उधार पैसे का तकाजा करने पर प्रार्थी के विरूद्ध गलत शिकायत की गयी है तथा प्रार्थी को यह धमकी देता है कि तेरी दुकान बंद कराके रहूंगा। यदि दौराने ट्रॉयल उक्त खाद का विक्रय कर दिया जाता है तो उसकी बाजारी कीमत प्रार्थी मय ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः प्रार्थी के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए की कार्यवाही ड्रॉप किये जाने की कृपा करें। साथ ही अप्रार्थी सं0 1 द्वारा जप्तशुदा उर्वरक 200 बैग एनएफएल डीएपी खाद 50 किलो वनज के सुपुर्दनामा पर दिलवाने का प्रा0पत्र भी पृथक से पेश किया गया है।

दौराने बहस नेशनल फर्टिलाइजर्स लि0 (एनएफएल) की ओर से लेटर पैड पर प्रा0पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि दिनांक 21.09.2022 को अलवर रैक पॉइंट पर एनएफएल की डीएपी रैक लगी थी। जिसमें से हमारे थौक विक्रेता मै0 चौधरी खाद बीज भण्डार भजीट को 200 बैग डीएपी भेजे गये थे जो कि रिटेलर द्वारा लाईसेन्स शुदा गोदाम में जगह नहीं होने के कारण अन्य गोदाम में रख लिया। जिस पर कृषि विभाग अलवर ने उक्त स्टॉक को वहां से उठाकर जीएसएस में रखकर सीज कर दिया। कृषि विभाग द्वारा जानकारी दी गयी। उन्होंने अवगत कराया कि सीज स्टॉक को जिला कलक्टर ही रिलीज कर सकते है। एनएफएल भारत सरकार का उपक्रम है। यहां किसी का कोई निजी स्वॉर्थ नहीं है। कम्पनी की सब्सीडी रू0 8,20,000/— रूकी हुई है। अतः डीएपी के जप्तशुदा 200 बैग रिलीज करने के आदेश फरमावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण द्वारा पेश समस्त दस्तावेजात् का अवलोकन व मनन किया। पत्रावली के अवलोकन एवं एनएफएल की रिपोर्ट एवं बहस से स्पष्ट है कि उक्त उर्वरक भारत सरकार के उपक्रम एनएफएल का है। प्रार्थी द्वारा पेश बिल्टी का भी अवलोकन किया गया जिसमें अप्रार्थी द्वारा उक्त डीएपी एनएफएल द्वारा खरीद किया हुआ दर्शाया गया है। पत्रावली में एफआईआर की प्रति का भी अवलोकन किया गया, जो पुलिस थाना एमआईए अलवर में दर्ज कराई गई है। उक्त समस्त दस्तावेज से स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा उर्वरक को अपनी स्वंय की दुकान/गोदाम में नहीं रखकर अन्यत्र जगह बेचान कर का आरोप है। जहां तक उर्वरक के मानक का प्रश्न है। एनएफएल द्वारा अपने प्रा0पत्र में स्पष्ट किया है कि उक्त उर्वरक उनके द्वारा दिया गया था। प्रार्थी द्वारा पेश किया गया प्रा0पत्र खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी द्वारा पेश प्रा0पत्र 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 खारिज किया जाता है तथा यह निर्देश दिये जाते है कि जप्तशुदा डीएपी के 200 बैग गोजूकी ग्राम सहकारी समिति के व्यवस्थापक श्री साफीजान पुत्र इब्राहिम से प्राप्त कर चौधरी खाद बीज भण्डार ग्राम भजीट तहसील अलवर को सुपुर्द करावें। उक्त निर्णय आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 में पारित निर्णय के अध्याधीन रहेगा।

निर्णय प्रति उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (पौ0सं0), कार्यालय उपनिदेशक, कृषि (विस्तार) जिला परिषद, अलवर जिला अलवर राज0 को पालनार्थ भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2022 को अद्योहस्तारकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर, अलवर
(राजस्थान)